

प्रस्तुप 24क  
(नियम 85क देखिए)

यह प्रस्तुप आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।]

1. राजनैतिक दल का नाम : —

लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी

2. राजनैतिक दल की प्रास्तिक

(मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) :

अमान्यताप्राप्त

3. राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता :

ई.वी.वन्नूर राजेन्द्रनगर पोर्ट रोड ग्राम पुर (द्व.ग.)

4. निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के

रजिस्ट्रीकरण की तारीख :

01/11/2004

5. स्थायी खाता सं. (पन) और वह आय-कर वार्ड/-

सर्किल जहां राजनैतिक दल की विवरणी फाइल  
की जानी है..... रायपुर (द्व.ग.)

AAAAL9458N वार्ड I (C) रायपुर

6. वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक हैं, व्यौरे -

क्रम सं.	अभिदायी व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड/ सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चैक/ मांगदेय झाफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
-	निःरुक्त	निःरुक्त	निःरुक्त	निःरुक्त	—

\*चैक/ मांगदेय झाफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चैक/ मांगदेय झाफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

मैं, द्वयुन मेघवानी... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री रुपा लीला से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रस्तुप में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं, ऊपर नामित राजनैतिक दल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी हैसियत में इस प्रस्तुप को सत्यापित कर रहा हूँ और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूँ।

तारीख : 16/09/2015

(कोषाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

Jm

स्थान : रायपुर (द्व.ग.)

द्वयुन मेघवानी  
राष्ट्रीय अध्यक्ष  
लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी (रजि.)  
रायपुर (द्व.ग.)

